

समक्ष में - माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर (म.प्र.)


R-266-II 113

1. कर्नैयालाल जायसवाल पिता स्व. श्री जवाहर लाल जायसवाल
 2. आनंद कुमार जायसवाल आत्मज स्व. श्री जवाहर लाल जायसवाल
 3. सुरेन्द्र कुमार जायसवाल पिता स्व. श्री जवाहर लाल जायसवाल
 4. हर्षित जायसवाल पिता आनंद जायसवाल

—आवेदकगण

बनामी

२-अनावेदक



निगरानी विस्तृद्ध आदेश आयुत्त
महोदय शहडोल संभाग शहडोल
दिनांक 16.10.2012 द्वारा प्रकरण
क्र. 20/निगरानी/2011-12 एवं
कलेक्टर महोदय शहडोल दिनांक
26.09.2011 द्वारा प्रकरण
क्र. 15/अ-74/2009-10
निगरानी अंतर्गत धारा 50 मःप्र. भ.
राजस्व संहिता 1959

पात्रिका

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में स्थित भूमि खसरा क्र. 28 रकवा 10 एकड़, खसरा क्र. 47/1 रकवा 5 एकड़, खसरा क्र. 47/2 रकवा 5 एकड़, खसरा क्र. 48 रकवा 6 एकड़, खसरा क्र. 66/2 रकवा 3 एकड़, एवं खसरा क्र. 68 रकवा 15.23 एकड़ कुल 6 किता, एकत्र क्षेत्रफल 44.23 एकड़ आवेदकगण एवं अन्य के नाम पर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वतं पर अंकित है। कलेक्टर महोदयश शहडोल द्वारा प्रार्थी/आवेदकगण एवं 5 अन्य को दिनांक 22.4.2010 को कारण बताओ।

ch² 41- ~~Emerson~~ ¹¹²¹¹ ~~4700~~ Horsell

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगो 266—दो / 2013

जिला — शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-2-2016	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है। आवेदक की ओर से प्रकरण प्रस्तुती के पश्चात 4 वर्ष समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज भी आवेदक एवं उनके अभिभाषक को समय—समय पर पुकार लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण में रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 